कनिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप (जेआरएफ -नेट)

1. साधारण

क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के मा.सं.वि समूह के तहत ईएमआर प्रभाग सीएसआईआर अनुसंधान फैलोशिप और युवा पुरुषों और मिहलाओं को फैकल्टी सदस्यों / वैज्ञानिकों के विशेष मार्गदर्शन के तहत प्रशिक्षण के लिए प्रदान करता है जो विश्वविद्यालय के संस्थानों में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान / राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआईआर के संस्थान। सीएसआईआर प्रयोगशालाओं की सूची अनुलग्नक-। पर है।

ख) सीएसआईआर फैलोशिप / एसोसिएटशिप विश्वविद्यालयों / आईआईटी / पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेजों / सरकारी अनुसंधान प्रतिष्ठानों में उपलब्ध हैं, जिनमें सीएसआईआर, मान्यता प्राप्त सार्वजिनक या निजी क्षेत्र, औद्योगिक फर्मों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान शामिल हैं। हालांकि, सीएसआईआर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह का निर्धारण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसमें पुरस्कार देने वाले को विशेषज्ञ बनाना है।

ग) सीएसआईआर फैलोशिप / एसोसिएटशिप केवल भारत में मान्य हैं। केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक ही, रिसर्च फैलोशिप / एसोसिएटशिप के पुरस्कार के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य S & T के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन का विकास है।

घ) सीएसआईआर फेलोशिप / एसोसिएटशिप का पुरस्कार निश्चित कार्यकाल के लिए है और लाभार्थी को सीएसआईआर द्वारा बाद के रोजगार के लिए कोई आश्वासन या गारंटी नहीं देता है। सीएसआईआर के साथ निहित / पुरस्कृत करने का अधिकार। फेलोशिप / एसोसिएटशिप की समाप्ति के बाद, पुरस्कार विजेता सीएसआईआर में स्थायी समावेश/पद का दावा नहीं करेगा।

2. अनुसंधान का उद्देश्य

प्राथमिकता सीएसआईआर प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण एस एंड टी क्षेत्रों के अनुसंधान कार्यक्रम के लिए प्रासंगिक विषय के अनुसंधान / विषय को दी जाती है।

सीएसआईआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए पात्रता

सीएसआईआर द्वारा प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जेआरएफ को सम्मानित किया जाता है। बीएस -4 वर्ष कार्यक्रम / बीई /बी.टेक /बी. फार्मा / एमबीबीएस / इंटीग्रेटेड बीएस-एमएस / एम.एससी। या समकक्ष डिग्री / बीएससी (ऑनर्स) या समकक्ष डिग्री । धारक उमीदवारों के लिए। सामान्य या ओबीसी के लिए कम से कम 55% अंकों के साथ एकीकृत एमएस-पीएचड़ी कार्यक्रम में नामांकित छात्र या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50%, शारीरिक रूप से और विकलांग उम्मीदवारों) योग्यता के साथ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) सीएसआईआर द्वारा वर्ष में दो बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है।

दो साल की वैधता अविध के भीतर पीएचडी / एकीकृत पीएचडी के लिए पंजीकृत / नामांकित होने के बाद ही स्नातक की डिग्री वाले अभ्यर्थी, चाहे वह विज्ञान, इंजीनियरिंग या अन्य कोई भी विषय हो, फेलोशिप के लिए पात्र होंगे।

उम्मीदवार ने एम. एससी. या उपरोक्त योग्यता परीक्षा के 10 + 2 + 3 वर्ष पूरे होने पर भी रिजल्ट प्रतीक्षित (आरए) श्रेणी के तहत उपरोक्त विषय में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

4. आवेदन प्रक्रियाआवेदन प्रक्रिया

जेआरएफ -नेट के लिए ऑन-लाइन आवेदन वर्ष में दो बार अखिल भारतीय आधार पर प्रेस विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में जानकारी एचआरडीजी वेबसाइट: www.csirhrdg.res.in पर भी उपलब्ध है।

5. आयु सीमा

जेआरएफ के पुरस्कार के लिए आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष होगी, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /, शारीरिक रूप से विकलांग / नेत्रहीन विकलांग और महिला आवेदकों के मामले में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। ओबीसी (गैर-मलाईदार परत वाले उम्मीदवार) जबकि 3 वर्ष की छूट दी गई है।

6. चयन प्रक्रिया

जेआरएफ के पुरस्कार के लिए चयन राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) नामक एक प्रतियोगी लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जो सीएसआईआर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष में दो बार निम्नलिखित क्षेत्रों (1) रासायनिक विज्ञान (2) पृथ्वी, वायुमंडल में किया जाता है। , महासागर और ग्रह विज्ञान (3) जीवन विज्ञान, (4) गणितीय विज्ञान, और (5) भौतिक विज्ञान। जून 2011 से, सीएसआईआरने तीन भागों से मिलकर एक एकल MCQ (बहुविकल्पीय प्रश्न) पेपर आधारित परीक्षा शुरू की है। भाग-ए सामान्य विज्ञान और अनुसंधान योग्यता पर सवाल उठाने वाले सभी विषयों के लिए सामान्य होगा। पार्ट-बी में विषय से संबंधित पारंपरिक MCQ शामिल होंगे और पार्ट-सी में उच्च मूल्य के प्रश्न होंगे जो उम्मीदवार की वैज्ञानिक अवधारणाओं और / या वैज्ञानिक अवधारणाओं के आवेदन के ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाता है। फैलोशिप योग्यता डिग्री परीक्षा के आवश्यक विवरण, शोध कार्य के प्रस्तावित स्थान, शोध विषय, पर्यवेक्षक का नाम और सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए संस्थान की सहमति के विवरण पर प्रदान की जाती है। जेआरएफ पुरस्कार(जे.आर.एफ नेट सर्टिफिकेट) की पेशकश की वैधता दो साल है और यह विस्तार योग्य नहीं होगी।

रिसर्च फेलोशिप / एसोसिएटशिप के पुरस्कार की स्वीकृति पर एक रिसर्च फेलो / एसोसिएट्स द्वारा अंडरटेकिंग का आवेदन प्रारूप

7. पीएचडी पंजीकरण और फ़ेलोशिप की अवधि

क) जेआरएफ-नेट योग्य स्नातक उम्मीदवार

पीएचडी / इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए पंजीकृत / नामांकित होने के बाद ही स्नातक की डिग्री वाले अभ्यर्थी, चाहे वह विज्ञान, इंजीनियरिंग या अन्य कोई भी विषय हो, फेलोशिप के लिए पात्र होंगे। कार्यक्रम (<u>पीएचडी प्रोफार्मा यहां से</u> <u>डाउनलोड करें</u>) दो साल की वैधता अविध के भीतर।

ख) जेआरएफ-नेट योग्य स्नातकोत्तर उम्मीदवार

सीएसआईआर जूनियर रिसर्च फेलो को ज्वाइन करने के दो साल की अवधि के भीतर पीएचडी के लिए पंजीकरण करना चाहिए (पीएचडी प्रोफार्मा यहां से डाउनलोड करें) अन्यथा, फेलोशिप समाप्त हो सकती है। असाधारण परिस्थितियों में, सीएसआईआर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तार देने पर विचार कर सकता है। विस्तारित अवधि के दौरान, जूनियर रिसर्च फैलोशिप, हालांकि, वरिष्ठ रिसर्च फैलोशिप में अपग्रेड नहीं किया जाएगा। यदि 3 वर्ष के अंत में भी, फेलो को पीएचडी के लिए पंजीकृत नहीं किया जाता है, तो फेलोशिप समाप्त हो जाएगी।

ग) फेलोशिप पीएचडी viva-voce की तारीख से समाप्त हो जाएगी या जिस तारीख से फेलो इस्तीफा दे रहा है और उसका इस्तीफा सीएसआईआर या कार्यकाल पूरा होने पर स्वीकार किया गया है। फेलोशिप को समाप्त भी किया जा सकता है यदि वह संस्थान जहां वह कार्य कर रहा है, वह फेलो को अनुशासनात्मक आधार पर सुविधाएं प्रदान करने से इनकार करता है और इसलिए सीएसआईआर को सूचित करता है।

8. वजीफा और कार्यकाल

- क) सीएसआईआर-यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (एनईटी) के माध्यम से चयनित एक जेआरएफ का वजीफा पहले दो वर्षों के लिए 31,000 / पीपीएम होगा। इसके अलावा, वार्षिक आकस्मिक अनुदान रु। 20,000 / प्रति फेलो विश्वविद्यालय / संस्थान को प्रदान किया जाएगा। आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देश (अनुलग्नक-॥) में दिए गए हैं।
- ख) एसआरएफ-नेट: जेआरएफ के रूप में दो साल पूरे होने पर अगर फेलो पीएचडी के लिए पंजीकृत है, तो फेलोशिप को एसआरएफ (एनईटी) में अपग्रेड किया जाएगा जिसको फेलो के अनुसंधान प्रगति / उपलब्धियों के मूल्यांकन के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से उपलब्धियां, जिसमें विश्वविद्यालय / संस्थान के बाहर के मार्गदर्शक, विभाग प्रमुख और बाहरी सदस्य शामिल हैं और स्टाइपेंड को बढ़ाकर तीसरे और बाद के वर्षों के लिए रु 35,000 / कर दिया जायेगा | संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ, प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं। जहां तक संभव हो बाहरी सदस्य को तीन सदस्यीय समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। जहां गाइड विभाग का प्रमुख होता है, डीन, विज्ञान संकाय या विभाग का कोई भी विरेष्ठ सदस्य समिति के तीसरे सदस्य (अनुलग्नक- III) और (अनुलग्नक- IV) के रूप में जुड़ा हो सकता है। उन्नयन की सिफारिश नहीं करने वाली समिति या फेलो ने पीएचडी के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो उम्मीदवार तीसरे वर्ष के लिए 31,000 / रुपये के वजीफे के साथ जेआरएफ के रूप में जारी रहेगा या उसकी फेलोशिप की सिफारिश के आधार पर उसे समाप्त किया जा सकता है। समिति और इस संबंध में सीएसआईआर का निर्णय अंतिम होगा। अपने उन्नयन के लिए 3 वर्ष के अंत में विधिवत गठित तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति द्वारा जेआरएफ के अनसंधान कार्य की प्रगति का आकलन किया जाएगा।
- ग) यह उम्मीद की जाती है कि फेलो ने अपने काम को 3 साल के अंत तक प्रकाशित किया होगा। यह उम्मीदवार द्वारा की गई प्रगति को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंड बनाएगा। यदि सिमिति द्वारा उन्नयन के लिए जेआरएफ का कार्य अभी भी संतोषजनक नहीं पाया गया है या पीएचडी के लिए पंजीकृत नहीं है, तो फेलोशिप समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि प्रगति किसी स्वीकृत कार्यकाल के पूरा होने पर संतोषजनक नहीं है, तो फेलोशिप समाप्त कर दी जाएगी। एसआरएफ (नेट) के चौथे वर्ष के लिए कार्यकाल का विस्तार प्रगति रिपोर्ट (अनुलग्नक- IV) और गाइड की सिफारिश के आधार पर होगा। एसआरएफ (नेट) के रूप में 5 वें वर्ष का विस्तार एक तीन सदस्यीय मूल्यांकन सिमिति की सिफारिश पर स्वीकार्य है और प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कागज के पुनर्मुद्रण / पूर्वप्रचार / पांडुलिपियों के रूप में प्रकाशनों द्वारा विधिवत समर्थित प्रगति रिपोर्ट, प्रकाशन के लिए स्वीकृत या संचारित (अनुलग्नक- IV)) और (अनुलग्नक- V)। वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीएसआईआर मानदंडों के अनुपालन के साथ-साथ अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ छह महीने के भीतर वार्षिक कार्यकाल पूरा होने के बाद फेलोशिप / एसोसिएटशिप की समाप्ति हो सकती है।
- **घ)** जेआरएफप्लस एसआरएफ (नेट) के रूप में कुल कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसमें यूजीसी / डीएसटी / डीबीटी / आईसीएमआर / आईसीएआर आदि या किसी अन्य फंडिंग एजेंसी / संस्थान द्वारा दी गई फैलोशिप का कार्यकाल शामिल होगा। एसआरएफ (एनईटी) के रूप में स्टाइपेंड की समान दर जेआरएफ के रूप में पर जारी रखने का आदेश, एचआरडीजी, सीएसआईआर के ईएमआर डिवीजन द्वारा जारी किया जाएगा। यदि फेलो अपने शोध

प्रकाशन में सीएसआईआर के वित्तीय सहायता को उल्लेखित(स्वीकार करना) नहीं करता है, तो एक्सटेंशन भी नहीं दिया जा सकता है।

एक रिसर्च फेलो जो महीने के पहले दिन शामिल होता है, उसका कार्यकाल पिछले महीने के आखिरी दिन पूरा होगा। अन्य मामलों में फेलोशिप में शामिल होने के उसी महीने के अंतिम दिन कार्यकाल पूरा हो जाएगा।

9. फेलोशिप का पुरस्कार और अनुदानों की प्राप्ति

क) फेलोशिप को चयनित आवेदकों को विश्वविद्यालय / संस्थान को सचना के तहत. अनुदान के विवरण और इसे संचालित करने वाली शर्तों का विवरण देते हुए एक औपचारिक पत्र से सम्मानित किया जाएगा। फेलोशिप की प्रभावी तारीख से नेट सर्टिफिकेट के अनुसार दो साल तक मान्य है और एक नेट योग्य जेआरएफ-नेट को दो साल के भीतर यानी जेआरएफ-नेट सर्टिफिकेट की वैधता अवधि के भीतर फेलोशिप का लाभ उठाना चाहिए। फेलोशिप अनुदान राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से मासिक आधार पर देय है, जबकि वार्षिक आकस्मिकता शोध फेलो (वार्षिक आकस्मिकता के लिए अनुलग्नक- VIa) और (मासिक फैलोशिप के लिए अनुलग्नक- VIb) के विधिवत रूप से भुगतान किया जाएगा। वित्त अधिकारी / रजिस्ट्रार / संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ख) अन्य आवश्यक दस्तावेजों (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्नातक और स्नातकोत्तर मार्कशीट, एकीकृत-पीएचडी / पीएचडी नामांकन / पंजीकरण) के साथ फेलो की ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पहला भगतान (फेलोशिप स्टाइपेंड) किया जाएगा। जेआरएफ-नेट सर्टिफिकेट आदि) गाइड के माध्यम से संस्थान के कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा विधिवत अग्रेषित किया जाता है, जिसके पक्ष में आकस्मिक अनुदान जारी किया जाना है। बाद के मासिक स्टाइपेंड उपस्थिति रिकॉर्ड के साथ विधिवत हस्ताक्षरित बिल (अनुलग्नक- VIb) प्राप्त होने पर बनाए जाएंगे। 31 मार्च और पिछले एक साल की रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण पत्र (अनुबंध) के लिए निर्धारित अवधि (**अनुलग्नक-IV**) में रिसर्च फेलो की प्रगति रिपोर्ट (ए) की प्राप्ति के बाद ही वार्षिक आकस्मिक भूगतान किया जाएगा। (अनुलग्नक-VII). और संबंधित संस्था से अगले वित्तीय वर्ष के लिए दावा बिल के साथ 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली रसीद और भुगतान (खातों का विवरण) (**अनुलग्नक- VIII**) का विवरण। संस्थानों / विश्वविद्यालयों द्वारा अध्येतावृत्ति के लिए सीएसआईआर द्वारा जारी अनुदानों पर अर्जित पूर्व भूगतानों और ब्याज की राशि सहित वित्तीय वर्ष के अंत में सीएसआईआर को वापस कर दिया जाना चाहिए या भूगतान के लिए नए दावे प्रस्तुत करते समय समायोजित किया जाना चाहिए। अनुसंधान फेलो (**अनुलग्नक- IX**) के लिए ग्रांट इंस्टीट्यूशन द्वारा खाता प्रकार प्रणाली पर खातों को बनाए रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय / संस्थान अनुदान के समुचित उपयोग और सीएसआईआर-एचआरडी समूह को खाता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

10. आकस्मिक अनुदान

क) विश्वविद्यालय / संस्थान को रु 20,000 / - प्रति वार्षिक वार्षिक वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है। एक वर्ष से कम समय के लिए, आकस्मिक अनुदान समर्थक अनुपात के आधार पर स्वीकार्य होगा। इस अनुदान का कुछ हिस्सा शोध कार्य, पुस्तकों की खरीद, आदि के हित में उपयोग किया जा सकता है। एक वर्ष के अंत में आकस्मिक अनुदान की शेष राशि को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, हालाँकि, आकस्मिक अनुदान की अगली रिलीज़ पिछले वर्ष की आकस्मिक अनुदान के अनपेक्षित संतुलन के समायोजन के अधीन हो, जिससे आकस्मिक व्यय एक वर्ष में अधिकतम रु 20,000 / - होगा | इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष के आकस्मिक अनुदान जारी करने के लिए अनुरोध (दावा) पर विचार नहीं किया जाएगा। आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देश (अनुलग्नक-॥) में दिए गए हैं। ख) सीएसआईआर रिसर्च फेलो को ई-फॉर्म में पीएचडी थीसिस जमा करने पर रु 3000/ - (एकमुश्त) अतिरिक्त दिया जाएगा। जानकारी के लिए, हेड, सीएसआईआर-सूचना उत्पाद अनुसंधान एवं विकास यूनिट (तपोवन', 113-114, एनसीएल एस्टेट, पाषाण रोड़, पुणे-411008 (महाराष्ट्र), से संपर्क किया जा सकता है। यूआरडीआईपी का वेबसाइट पता www.urdip.res.in है।

ग) विश्वविद्यालय / संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समेकित उपयोग प्रमाण पत्र (<u>अनुलग्नक VIII)</u> और व्यय का विवरण (<u>अनुलग्नक- VIII)</u> प्रस्तुत करना है, अन्यथा अगले वर्ष देय अनुदान सहायता जारी नहीं की जाएगी। ।

11. प्रगति रिपोर्ट

किए गए शोध कार्य पर वार्षिक प्रगित रिपोर्ट तैयार करना फेलो के कार्य का अनिवार्य हिस्सा होगा। प्रत्येक रिसर्च फेलो अपनी प्रोफेशनल रिपोर्ट को निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक- IV) में एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद सीएसआईआर(एचआरडी समूह) को अपने मार्गदर्शक / विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। अनुलग्नक- IV के सभी स्तंभों के विरुद्ध अद्यतित और पूर्ण जानकारी देना आवश्यक है। परिणाम को टेबल्स / आंकड़ों में मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जिन उद्देश्यों और निष्कर्षों के संदर्भ में चर्चा की गई है, उन्हें भी दिया जाना चाहिए। खण्डित रिपोर्टों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रगित की रिपोर्ट हमेशा प्रकाशित पत्रों की प्रतियों के साथ होनी चाहिए, प्रकाशन के लिए स्वीकार किए गए कागजात के पुन: प्रिंट और पूर्व प्रिंट, सीएसआईआर की वित्तीय सहायता को विधिवत रूप से प्रकाशित करने के लिए संचारित शोध पत्र की पांडुलिपि को भी प्रस्तुत करना चाहिए। वार्षिक प्रगित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीएसआईआर मानदंडों के गैर-अनुपालन के साथ-साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजों को कार्यकाल पूरा होने के बाद को छह माह के भीतर प्रस्तुत न करने पर फेलोशिप / एसोसिएटशिप की समाप्ति हो सकती है। उपस्थिति रिकॉर्ड वार्षिक रिपोर्ट के साथ होना चाहिए। मार्गदर्शक / विभागाध्यक्ष अपने मूल्यांकन में शोध कार्य को करने में फेलो की मौलिकता और पहल की हिस्सेदारी की रिपोर्ट करेंगे। यदि थीसिस को उच्च डिग्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो यह विभाग के गाइड द्वारा परिणाम घोषित होने पर सीएसआईआर को सूचित किया जाना चाहिए।

12. प्रकाशन / पेटेंट

- क) प्रकाशन: गाइड के विवेक पर फेलों के शोध कार्य के परिणाम मानक रेफरी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सकते हैं। सीएसआईआर द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह सभी प्रकार के प्रकाशनों में अलग-अलग है। प्रकाशित शोध पत्रों की एक प्रति सीएसआईआर को भेजी जानी चाहिए।
- ख) पेटेंट: सीएसआईआर अनुसंधान अध्येताओं / सहयोगियों के बौद्धिक कार्य के संबंध में जांच से संबंधित पेटेंट अधिकारों के परिणामों और स्वामित्व का व्यावसायिक शोषण निम्नानुसार होगा: (i) सार्वजनिक वित्त पोषित शैक्षिक / अनुसंधान संस्थान, जिसके लिए एक फेलो संबद्ध, अपने स्वयं के लागत पर पेटेंट अधिकार की तलाश कर सकते हैं और/या फेलो के बौद्धिक कार्य से संबंधित जांच के परिणामों का व्यावसायिक शोषण और सभी अधिकार संबंधित संस्थान के साथ विशेष रूप से निहित होंगे। आईपी के स्वामित्व और इसके लाइसेंस / शोषण से संबंधित सभी मामले संबंधित संस्थानों की आईपी नीति द्वारा शासित होंगे। (ii) यदि कोई संस्था, जिससे कोई फेलो जुड़ा हुआ है, किसी भी स्थिति में, फेलो के बौद्धिक कार्य से संबंधित जांच के परिणामों के पेटेंट अधिकार और/या व्यावसायिक शोषण की स्थिति में नहीं है, तो सीएसआईआर अपनी लागत पर काम कर सकती है। फेलो के बौद्धिक कार्यों के परिणामों के पेटेंट अधिकार और/या व्यावसायिक शोषण और सभी अधिकार सीएसआईआर के साथ विशेष रूप से निहित होंगे। (सीएसआईआरOM NOI F.No. 6 / IPR / 2011 / EMR-1 दिनांक 29 जलाई 2011 को जारी किया गया।)

13. रिसर्च फेलो के कर्तव्य

- क) फेलो एक पूर्णकालिक शोधकर्ता होना चाहिए और विश्वविद्यालय / संस्थान / प्रयोगशाला के अनुशासनात्मक नियमों के लिए खुद को प्रस्तुत करना होगा जहां वह काम कर रहा है। फेलो की नियमित उपस्थिति विभाग द्वारा उपस्थिति रजिस्टर रख कर सुनिश्चित की जा सकती है।
- ख) यदि कोई फेलों प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपस्थित होने का फैसला करता है, तो वह गाइड से अनुमित लेना चाहता है और सीएसआईआर को इसके बारे में सूचित करेगा।

- ग) रिसर्च फेलो को अपने स्वीकृत अनुसंधान कार्यक्रम, भुगतान या अवैतनिक से संबंधित कोई भी कार्यभार नहीं लेना है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो फेलो अपने पीएचडी कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने शैक्षणिक कार्य / अन्य गतिविधियों में मेजबान संस्थान की सहायता कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे कार्य फेलो के शोध कार्य की प्रगति में बाधा न बनें।
- **घ)** एक बार रिसर्च फेलो फेलोशिप स्वीकार कर लेता है और इसमें शामिल हो जाता है तो फ़ेलोशिप के सामान्य कार्यकाल या इससे कम अविध के लिए जिसमें शोध समस्या के मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाना है शोध कार्य को जारी रखना होगा ।
- डं) कोई फेलो सीएसआईआर की पूर्व मंजूरी के बिना अपनी फैलोशिप बंद नहीं करेगा। यदि वह अनुसंधान के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकाल पूरा करने से पहले फेलोशिप बंद करना चाहता है, तो उसे फैलोशिप छोड़ने के लिए विशिष्ट कारणों का संकेत देते हुए, एक महीने पहले गाइड के माध्यम से सीएसआईआर को इस्तीफा सौंपना होगा। फैलोशिप सीएसआईआर पत्र में निर्धारित तिथि से समाप्त हो जाएगा जो इस्तीफे को मंजरी देता है।
- च) रिसर्च फेलो को निर्धारित अविध के दौरान फेलोशिप की पूरी अविध के दौरान किए गए शोध कार्य की एक विस्तृत समेकित रिपोर्ट एक महीना के भीतर भेजनी होगी। जोकि गाइड के माध्यम से सीएसआईआर को निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक- x) में प्रेषित करनी होगी।
- **छ)** फेलोशिप के कार्यकाल के दौरान, फेलो केवल सीएसआईआर के साथ गाइड के माध्यम से संस्था प्रमुख के अनुमोदन के साथ पत्र व्यवहार करेगा।
- ज) रिसर्च फेलो ने सीएसआईआरको उच्च डिग्री प्राप्त करने, पीएचडी, एमडी, एमडीएस, एमएस, एमफिल, एमई आदि के लिए थीसिस जमा करने और किसी भी शोध पत्र को प्रस्तुत करने / स्वीकृति / प्रकाशन के बारे में सूचित करना है। फेलोशिप के कार्यकाल के दौरान किए गए शोध कार्य। उसे प्रकाशन में सीएसआईआरकी सहायता को उल्लेखित करना चाहिए। प्रकाशित किए गए सभी शोध पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति प्रकाशन / पांडुलिपि / पुनर्मुद्रण के प्रत्येक चरण में सीएसआईआर को भेजी जानी चाहिए।

14. टेम्पररी टीचिंग और रिसर्च जॉब

गाइड की सिफारिश पर एक रिसर्च फेलो, और बशर्ते कि उसकी / उसके विश्वविद्यालय / संस्थान को कोई आपित न हो, सीएसआईआरद्वारा किसी मान्यताप्राप्त R & D इंस्टीट्यूशन / यूनिवर्सिटी, कॉलेज / इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट / में अस्थायी भुगतान लेक्चरशिप / रिसर्च जॉब लेने की अनुमित दी जा सकती है। भारत और विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान / पीडीएफ अध्ययन में फैलोशिप (जेआरएफऔर SRF एक साथ) के पूरे कार्यकाल के दौरान एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। रिसर्च फेलो ऐसी अवधि के लिए फैलोशिप के किसी भी विस्तार का हकदार नहीं होगा। फेलो ऐसे अवकाश के दौरान वजीफा और आकस्मिक अनुदान के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अवकाश अवधि को कार्यकाल में गिना जाएगा। कम से कम एक वर्ष के लिए रिसर्च स्कॉलर के रूप में शामिल होने और काम करने के बाद ही ऐसी छुट्टी ली जा सकती है। फेलो को ड्यूटी के लिए उसी जगह पर रिपोर्ट करना होता है, जहां से वह छुट्टी पर आया

<u>15.</u> अवकाश

क) सीएसआईआर को सूचित किए जाने के अनुरोध के बाद कार्यकाल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित अवकाश की अविध 30 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अवकाश को फेलो के कार्यकाल के हिस्से के रूप में माना जाएगा। हालांकि कार्यकाल के दौरान किसी भी समय 90 दिनों से अधिक नहीं जमा किया जा सकता है। इसमें से 30 दिन से अधिक कैलेंडर वर्ष में वजीफे के साथ नहीं लिए जा सकते हैं और इससे आगे किसी भी छुट्टी को "लीव विथाउट स्टिपेंड" (बिना स्टिपेंड) माना जाएगा। फैलोशिप के पहले वर्ष या किसी भी अपूर्ण वर्ष के दौरान, छुट्टी प्रो-राटा आधार पर दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में सीएसआईआर द्वारा बिना वजीफे के छुट्टी की मंजूरी पर विचार किया जा सकता है। यदि फेलोशिप की अविध समाप्त होने से पहले कोई फेलो छुट्टी पर जाता है, तो उसे कार्यकाल की समाप्त से पहले वापस आ जाना चाहिए। ऐसा सुनिश्चित न करने पर तथा विफल होने पर उसका कार्यकाल तुरंत प्रभाव से समाप्त माना जाएगा। छुट्टी से वापस जुड़ने के तथ्य को तुरंत सीएसआईआर को सूचित किया जाना चाहिए। चूंकि

सीएसआईआरअग्रिम में अनुदान जारी करता है, इसलिए, "लीव विदाउट स्टाइपेंड" के खाते में राशि एक वित्तीय वर्ष के अंत में सीएसआईआरको वापस कर दी जानी चाहिए या यदि कोई हो, तो नए दावे के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए।

- ख) यदि उपर्युक्त पैरा 15 (क) में निर्धारित है, तो छुट्टी संस्थान / विभाग के प्रमुख की सहमित के साथ उसके प्रभार में एक फेलो को छोड़ सकती है। यदि छुट्टी देय नहीं है, तो ऐसे मामले सीएसआईआर द्वारा ही तय किए जाएंगे। फेलो को सीएसआईआर की पूर्व मंजूरी के बिना सम्मेलनों / सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए विदेश जाने के लिए छुट्टी पर जाने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, चाहे आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित हो. ऐसी विदेशी यात्राओं की पूरी अविध को बिना वजीफे के अवकाश के रूप में माना जाएगा।
- ग) मातृत्व के आधार पर 180 दिनों की अनुपस्थिति की अविध के दौरान दो जीवित बच्चों के साथ मिहला फेलो पूर्ण वजीफा प्लस एचआरए के हकदार हैं। सीएसआईआर को सूचना के तहत गाइड द्वारा इस तरह की छुट्टी मंजूर की जाएगी। फैलो की ड्यूटी फिर से शुरू करने और वास्तविक पिररोध/प्रसूति के समर्थन में एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करने के बाद छुट्टी की अविध के लिए फैलोशिप राशि का भुगतान किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि फेलो शेष कार्यकाल के दौरान शोध कार्य के लिए तैयार रहेंगे।
- **घ)** दो से कम जीवित बच्चों के साथ सीएसआईआर के पुरुष अध्येता, प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर अपनी पत्नी के प्रसवावस्था के दौरान 15 दिनों के पितत्व अवकाश के हकदार हैं।

16. फेलोशिप के हस्तांतरण

फेलो को कोई भी संस्थान ज्वाइन करने से पहले अपने शोध को अंजाम देने के लिए मेजबान संस्थान, मार्गदर्शक / पर्यविक्षक, आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता और अन्य शोध सुविधाओं आदि का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। फेलोशिप के हस्तांतरण के लिए अनुरोध पर अप्रतिरोध्य परिस्थितियों को छोड़कर स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए फेलो और उसके मार्गदर्शक को उचित औचित्य प्रस्तुत करना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को फेलो/एसोसिएट द्वारा सुपरवाइजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट / इंस्टीट्यूट के हेड से स्वीकृत होना चाहिए, जहां से ट्रांसफर मांगा जाता है और गाइड / होस्ट इंस्टीट्यूट की सहमति होनी चाहिए, जहां पर फेलोशिप ट्रांसफर का कारण बताकर ट्रांसफर होने की मांग की जाती है। किसी भी फेलो को "फेलोशिप के हस्तांतरण" के लिए सीएसआईआर से पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य संस्थान में शामिल होने की अनुमित नहीं दी जाएगी और यदि वह सीएसआईआर की मंजूरी के बिना कहीं और ज्वाइन करता है, तो उसकी / उसके फैलोशिप को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, फेलोशिप के कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में और पीएचडी जमा करने के बाद भी कोई हस्तांतरण की अनुमित नहीं दी जाएगी।

17. फ़ेलोशिप का समापन

- क) जूनियर रिसर्च फेलोशिप / सीनियर रिसर्च फैलोशिप पीएचडी की वाइवा-वॉयस की तारीख से या फैलोशिप कार्यकाल पूरा होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगी। फेलोशिप भी उस तारीख से समाप्त हो जाएगी जब फेलो इस्तीफा देता है और सीएसआईआर द्वारा उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सीएसआईआर द्वारा पर्यवेक्षक और विभाग / संस्थान के प्रमुख की सिफारिश पर फैलोशिप को समाप्त किया जा सकता है। फेलोशिप को समाप्त भी किया जा सकता है यदि वह संस्थान जहां वह अनुशासनात्मक आधार पर फैलो को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जारी रखने से इनकार करता है और सीएसआईआर को सुवित करता है।
- ख) यदि कोई फैलो बिना अनुमित के जाता है, तो किसी भी समय देय वजीफा उसे भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक कि विश्वविद्यालय और अन्य देयताएं विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा साफ और प्रमाणित नहीं हो जाती हैं, ऐसे मामलों में जिम्मेदारी विश्वविद्यालय / संस्थान की होगी जहाँ से फेलो संबंधित है।
- ग) सीएसआईआर द्वारा जारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज, बकाया फ़ेलोशिप, छुट्टी की मंजूरी के समाप्त होने, फ़ेलोशिप त्यागने तथा स्वीकृत किए जाने के कारण किसी भी समय संस्थान के पास दिए गए अनुदान का अनपेक्षित संतुलन सीएसआईआर को तुरंत वापस कर दिया जाना चाहिए। जोकि उप सचिव, ईएमआर, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के पक्ष में मसौदा तैयार करके भेजना है।

घ) रिसर्च फेलो को फेलोशिप छोड़ने के एक साल के भीतर अपने फेलोशिप के दावों का निपटारा करना होगा। फैलोशिप छोड़ने के एक साल बाद सीएसआईआर द्वारा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. आवास / एचआरए

सभी शोध अध्येताओं को जहां भी उपलब्ध हो, छात्रावास की अनुमित दी जा सकती है और विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रदान किए गए छात्रावास में रहने वाले लोग एचआरए के लिए पात्र नहीं होंगे। छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है। जहां यह संभव नहीं है, मेजबान संस्थानों के नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता की अनुमित दी जाएगी। किसी भी स्थिति में यह उस क्षेत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए देय दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। HRA की गणना का आधार रिसर्च फेलो का वास्तविक वजीफा होगा। संबंधित संस्था मेजबान संस्था की अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले अध्येताओं के संबंध में अलग से तीन प्रतियों में एचआरए दावा बिल भेज देगी।

19. चिकित्सा लाभ

क) सभी अनुसंधान अध्येताओं को केंद्र / राज्य सरकार के मेडिकल मानदंडों के अनुसार चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकती है। यह केवल उनके लिए ही सीमित होगी तथा उनके आश्रितों को इसका कोई नहीं लाभ नहीं मिलेगा | ख) मेजबान संस्थान फेलो के ज्वाइन करते समय या बाद में उसकी चिकित्सकीय जाँच करा सकते है ।

20. ओवरहेड शुल्क

- क) सीएसआईआर अनुदान के खातों को बनाए रखने और समय पर जमा करने के लिए, लाभार्थी विश्वविद्यालय / संस्थान सीएसआईआर से दावा करने के हकदार हैं कि निम्नलिखित दरों पर ओवरहेड शुल्क। i) अनुसंधान अध्येताओं के लिए: रु 500 / - प्रति वर्ष प्रति फेलो बिना किसी सीमा के कुल राशि पर।
- ii) दरों को वित्तीय वर्ष 1998-99 के बाद से लागू किया जाता है।
- ख) ओवरहेड शुल्कों की स्वीकार्यता सीएसआईआर को निम्नलिखित विवरण / दस्तावेजों के समय पर जमा करने (एक महीने के भीतर) के अधीन होगी।
- i) रिसर्च फेलो / एसोसिएट्स की समेकित सूची जिसमें उस वर्ष में फ़ेलोशिप समाप्त / स्थानांतरित / इस्तीफा / स्थानांतरण / संगति / संगति के इस्तीफे की तिथि के साथ आदि की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।
- ii) सीएसआईआर रिसर्च फेलो (जेआरएफ / एसआरएफ) / सीएसडी रिसर्च फेलो (जेआरएफ / एसआरएफ) द्वारा प्रस्तुत पीएचडी शोध के लिए दी गई पीएचडी डिग्री के संबंध में वर्षवार जानकारी।
- iii) वित्तीय वर्ष के दौरान सभी फेलो के संबंध में समेकित उपयोग प्रमाणपत्र (**अनुलग्नक VII**)।
- iv) सीएसआईआर अनुदान-वार और वर्ष-वार अनुदान की प्राप्ति और व्यय (अनुलग्नक- VIII) का विवरण। सांविधिक लेखा परीक्षकों या सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित विवरण बाद में भेजा जा सकता है। v) टर्मिनेटेड फेलोशिप / एसोसिएटशिप, ट्रांसफर की गई फेलोशिप / एसोसिएटशिप के अनपेक्षित बैलेंस के विवरण, वर्ष के दौरान इस्तीफा देने वाले फेलों के लिए मंजूरी दे दी गई और चेक / ड्राफ्ट नंबर के साथ सीएसआईआर द्वारा जारी अनुदान पर ब्याज अर्जित किया गया उसकी जानकारी सीएसआईआर को दिनांक और राशि जारी करने वाली बैंक शाखा आदि प्रस्तुत करना।
- vi) ओवरहेड शुल्क के लिए दावे का सार।
- ग) सीएसआईआर के खातों को बनाए रखने वाले कर्मचारियों को ओवरहेड शुल्क का भुगतान केवल सीएसआईआर द्वारा अनुमोदन और ऊपर उल्लिखित विवरण / दस्तावेजों की प्राप्ति पर किया जाएगा।

21. निदेशकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

सीएसआईआर प्रयोगशाला / संस्थान के निदेशक को निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता का पालन करने के बाद एसआरएफ और आरए के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए , जेआरएफ को उन्नत करने का अधिकार है। आदेश प्रयोगशाला द्वारा जारी किया जाना है और केवल आदेश की एक प्रति को निगरानी के लिए हेड, एचआरडीजी को भेजा जाना आवश्यक है। निदेशक को एचआरडीजी को सूचना के तहत छुट्टी (बिना वजीफा के भी) स्वीकृत करने, इस्तीफे को स्वीकार करने का अधिकार है। यह उन फेलो / एसोसिएट्स के मामले में लागू होगा जिन्हें सीएसआईआरके मानव संसाधन विकास ग्रुप द्वारा फैलोशिप / एसोसिएटशिप से सम्मानित किया जाता है। निदेशक को यह भी सूचित किया जाता है कि वह केवल प्रमुख, एचआरडीजी को सूचना के तहत एक वर्ष की अवधि तक विदेश में फेलो / एसोसिएट्स कार्यवाही के लिए बिना वजीफा दिए छुट्टी मंजूर करे। सीएसआईआर प्रयोगशाला / संस्थान के निदेशक को एचआरडीजी के लिए सूचना के तहत एक शोध फेलो / एसोसिएट्स की गाइड को बदलने का भी अधिकार है।

22. अन्य नियम और शर्तें

- क) सीएसआईआर जब चाहे विश्वविद्यालयों या संस्थानों में जहाँ रिसर्च फेलो / एसोसिएट्स रखा जाता है, वहां फेलो और एसोसिएट्स के काम की समीक्षा, खातों, उपस्थिति, आदि के निरीक्षण के लिए अपने अधिकारियों को भेजा जा सकता है।
- ख) किसी भी तरह का भुगतान या मानद, अंशकालिक या पूर्णकालिक रोजगार या निजी प्रैक्टिस भी मानद क्षमता में फेलोशिप / एसोसिएटशिप के कार्यकाल के दौरान स्वीकार्य नहीं है।
- ग) अनुसंधान फेलो / एसोसिएट्स के वजीफे को आयकर अधिनियम 10 (16) के आयकर अधिनियम के भुगतान से छूट दी गई है |
- **घ)** ये नियम और शर्तें जेआरएफ/ SRF / RA के संबंध में जारी किए गए सभी पिछले निर्देशों को सुपरसीड करते हैं, किसी भी छूट के लिए DG, सीएसआईआरके अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सभी मामलों में सीएसआईआरद्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।